तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मुकदमा संख्या :– 25/2022 रामावतार बनाम राजस्थान सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/8/22	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि जमीन वर्तमान खसरा नम्बर 1020 रकबा 1.02 है0 वाके ग्राम दोरासर तहसील झुन्झुनू के स्थान पर खसरा नम्बर 1009, 1010 तथा 1011 कुल किता 3 कुल रकबा 1.02 है0 दर्ज किया जावे तथा विकल्प के रूप मं यह भी निवेदन किया है कि यदि ऐसा करने से राजस्व रिकार्ड में जटिलताए उत्पन्न होती हो तो वर्तमान खसरा नम्बर 1020 के स्थान पर नया खसरा नम्बर वर्तमान जमाबंदी तथा राजस्व नक्शा शीट में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस वास्ते जबाव देही तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार झुन्झुनू ने जबाव प्रेषित किया कि ग्राम दोरासर के साबिक खसरा नम्बर 250/3/2 रकबा 8 बीघा 1 बिश्वा हाल खसरा नम्बर 1020 रकबा 1.02 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी रामावतार पुत्र हरदेवाराम के नाम से ही दर्ज रिकार्ड है जो सही है। जबकि वादी अन्य खातेदारान के खसरा नम्बर 1009, 1010, 1011 किता 3 रकबा 1.04 है0 पर काबिज है। वर्तमान खसरा नम्बर 1009, 1010, 1011 एवं साबिक खसरा नम्बर 250/3/2 का अवलोकन करने पर प्रार्थी की खसरा नम्बर 1020 की ही खातेदारी भूमि बनती है जो वर्तमान में भी दर्ज रिकार्ड है। उक्त प्रकरण धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम की परिधी में नहीं आता है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार झुन्झुनू का अवलोकन किया जाकर बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया गया। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 सारहीन होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है अतः **आदेश** प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं जाप्ता बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 16/8/22 को सुनाया गया। [signature] उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)	